न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2019
Rcms reg. No. 2019/00007

प्रार्थी :-		अप्रार्थी :-
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री भरतलाल पिता वालजी कलाल उम्र 52 वर्ष निवासी भगोरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :- 30-12-2019

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री भरतलाल पिता वालजी कलाल उम्र 52 वर्ष निवासी भगोरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

1. प्रथम सूचना क्रमांक 228/12 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री भरतलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा दिनांक 24-11-2012 को जरिये प्रकरण संख्या 182/12 से 200/- रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 343/13 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री श्री भरतलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा दिनांक 06-12-2014 को जरिये प्रकरण संख्या 295/13 से 1000/- रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 09/11 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री भरतलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा दिनांक 18-10-2011 को जरिये प्रकरण संख्या 231/09 से 150/- रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
4. इस प्रकार गैरसायल श्री भरतलाल पिता वालजी कलाल उम्र 52 वर्ष निवासी भगोरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) जो अवैध शराब का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत् 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल तीनो प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर तीनो बार जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

4- गैरसायल की और से अभिभाषक श्री आकाश पटेल द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18–12–2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि :–

1. गैरसायल किसी गैंग का सदस्य या नेता नहीं है, ना ही आदतन आरोपी है, ना किसी अपराध को करने के लिए अन्य लोगों को दुष्प्रेरित करता है। ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, जिससे किसी को क्षति पहुंचाई हो, लुटपाट की हो या छिना झपटी की हो। इस कारण गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा ख के अधीन नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है और न ही उसके विरूद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है।
2. गैरसायल द्वारा किसी प्रकार का ऐसा अपराध नहीं किया गया है, जिससे सम्पत्ति को चेतावनी, खतरा या नुकसानी उत्पन्न हो और न ही ऐसा कोई अपराध किया है या अपराध में भाग लिया है, जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XXVI या अध्याय XXXI के अधीन कोई अपराध किया गया हो। इस प्रकार तीनों अपराध ट्रायल पुरा कर पत्रावली फैसल शुमार हो चुकी हैं। गैरसायल द्वारा परिवीक्षा के अधीन किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जो भा.द.सं. या अपराध की श्रेणी में आता हो। इस प्रकार गैरसायल के विरूद्ध तीनों मुकद्में न तो चोरी डकैति के हैं, न ही बलात्कार के हैं एवं न ही मारपीट या गाली गलौच के हैं। उसके विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में कार्यवाही नहीं चल सकती है। उक्त तीनो प्रकरण लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं।
3. गैरसायल गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 3 की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि गैरसायल ने कोई भी मारपीट, लूटपाट, छिना–झपटी गाली–गलौच आदि का कोई कृत्य नहीं किया है ना ही किसी को नुकसान पहूंचाया है। उक्तानुसार जो अपराध दर्शाये गये हैं, उनमें उसे स्वतंत्र रहने से कोई जनहानि नहीं हो सकती है तथा समाज को कोई अशान्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। उक्त प्रकरणों में झुठा फंसाया गया है।
4. गैरसायल के विरूद्ध आरोपों को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण फैसल शुमार किये जाने निवेदन किया।

5- दिनांक 18–12–2019 को प्रकरण में गैरसायल की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सभी प्रकरण लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं। अतः गैरसायल के विरूद्ध आरोप निरस्त किए जाकर प्रकरण फैसल शुमार करने निवेदन किया।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरूद्ध जो अवैध शराब का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत् 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल तीनो प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर बार जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री भरतलाल पिता वालजी कलाल उम्र 52 वर्ष निवासी भगोरा पुलिस थाना गढी जिला

बांसवाड़ा (राज.) को गढी तहसील क्षैत्र से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में गढी तहसील क्षैत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, घाटोल में निवास करेगा एवं थानाधिकारी खमेरा को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30–12–2019 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण तहसील क्षैत्र, गढी में स्थित किसी माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश बुनकर)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.01.06 11:47:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: